



कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश

क्रमांक 703 /PMAY-G/स्था./जिपं/2016-17

राजनांदगांव दिनांक 21/04/2017


छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक/पंग्राविवि/22/492ए/2016/2327 नया रायपुर दिनांक 04.07.2016 अनुसार पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ के अधीन मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना (CMPSY) अंतर्गत चयनित मेरिट सूची से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत रिक्त डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी को दिनांक 31/03/2018 तक के लिए उनके नाम के सम्मुख लिखे पदस्थापना स्थल पर संविदा नियुक्ति की जाती है:-

| क्रमांक | चयनित अभ्यर्थी का नाम | पिता/पति का नाम | पत्र व्यवहार का पता | वर्ग | पदस्थापना स्थान |
|---------|-----------------------|----------------------|---|------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | कु.अराधना देवांगन | श्री गोवर्धन देवांगन | आरती टेलर्स, न्यू कॉलोनी, गया नगर दुर्ग, (छ.ग.) | obc | जनपद पंचायत डोंगरगांव |

प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति हेतु आरक्षण नियम का पालन किया गया है।

नियम एवं शर्तें :-

- संविदा पर 13776.00 रुपये एकजाई पारिश्रमिक की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, गृहभाडा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा और ना ही संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
- यह संविदा नियुक्ति दिनांक 31/03/2018 तक होगी।
- यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी है।
- संविदा अवधि के कैलेण्डर वर्ष में कुल 18 दिनों का अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
- संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जायेगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।
- संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन उपादान या मृत्यु-लाभ की पात्रता नहीं होगी।
- संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके।
- यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र./एफ-9-1/2012/1-3, रायपुर, दिनांक 17.01.2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत राजनांदगांव(छ.ग.)



कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 704 /PMAY-G/स्था./जिपं/2016-17

राजनांदगांव दिनांक 21/04/2017

प्रतिलिपि :-

- 1 अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
- 2 संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), विकास आयुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
- 3 कलेक्टर, जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ ।
- 4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 5 उप संचालक, (पंचायत), राजनांदगांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 6 सर्व संबंधित श्री. ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ । दिनांक 20.03.2017 तक आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)